

ता.दि.
हस्ताक्षर

125
22

हस्ताक्षर या कार्यवाही समय इतिहास/संज्ञक

सीमा विवाद के सुकल का

20/25

पत्रावली आज पेश हुई, पत्रावली में
पैमाइश रिपोर्ट प्राप्त नहीं पत्रावली में पैमाइश
रिपोर्ट की जाकर पत्रावली फिलहाल पेशी/दंड
के पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (डीग) राज

17/02

पत्रावली आज प्राथमिक (वाडिया) के सिविल पर
आयलिन के तलब की गई, सुप्रीम के अ-
फर प्रस्तुत कर सिविल किया कि पुराने में
183(B) R.G. Act में सीमाने न्यायालय के तहत
विचारधीन है जबकि 183(B) R.G. Act में
सीमाने तहजीलगाट माहल का इतिहासिक है
अतः पुराने के इसी स्तर पर सिविल किया
जाया

नि. वही

Identified
by me

17/02/2024

वाडिया व उनके वकील के अधिन पर
विचार किया गया व पत्रावली, अ-फर
का अवलोकन करने पर पाया कि इसी वारी
वाडिया के सिविल पर इसी स्तर पर
विद्वानों की भांति है। पत्रावली फिलहाल सुकल
द्वारा शामिल उपरत है।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (डीग) राज